बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक 20 / 7 / 2017

ज्ञापांक—2 / नि०—02 / 2017— 638(2) / स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या—15 / 2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित सामान्य चिकित्सक पदाधिकरी (मूल कोटि) के पद पर रु०—9300—34800 / — (पी०बी०—2) एवं ग्रेड पे०—5400 के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है:—

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	गृह जिला	कोटि	पदस्थापित स्थान
1	154495	डा० कुमार विशुद्धानन्द सिंह	27.09.1979	ग्रा+पो०—खुरहान थाना—आलमनगर, जिला —मधेपुरा पिन—852219	मधेपुरा	सामान्य	अनुमंडल अस्पताल बगहा

2. उक्त चिकित्सक की नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण—पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी ।

3. दो वर्षो के बाद नियमानुसार चिकित्सक की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी । इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964 दिनांक—31.08.2005 एवं 768 पे०[illegible]० दिनांक—03.07.200[illegible] के अनुसार उक्त चिकित्सक पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—7832(2) दिनांक—22.1[illegible].1995 के अनु[illegible]ार नियुक्त चिकि[illegible] नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की से[illegible] पूरी हो[illegible] त[illegible] अथवा पैतालीस [illegible] की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण [illegible]वधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अ[illegible] भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होगें ।

6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में [illegible]धिसूचना निर्गत की तिथि से ए[illegible] माह के अन्दर योगदान करेंगे।

D>Sec-2>2017>Adhisuchna 17

7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. नियुक्ति चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेगें।

9. उक्त चिकित्सक यदि बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्योर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है । टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देगें।

10. नियुक्त चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

11. यदि चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देगें और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेगें। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देगें।

12. उपरोक्त नियुक्त चिकित्सक के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली–1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पत्ति का व्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2785 दिनांक–27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

13. नियुक्त चिकित्सक को निदेश दिया जाता है कि अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अद्यतन आवासिय प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

14. नियुक्त चिकित्सक पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्रोईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।

15. नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सक के सभी प्रमाण–पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

16. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

17. नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित निदशेक/सिविल सर्जन/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–**2/नि0–02/2017–** 638(2) पटना, दिनांक 20/7/2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल/जिलाधिकारी प० चम्पारण, बेतिया/क्षेत्रीय अपरनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमण्डल / सिविल सर्जन, प० चम्पारण, बेतिया/ उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट–WWW.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

20.7.17
सरकार के अवर सचिव

D>Sec-2>2017>Adhisuchna 17